लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3830
11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृतसर टेक्सटाइल क्लस्टर

3830. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अमृतसर, पंजाब में ऊनी और शॉल बुनाई क्षेत्रों सहित पारंपरिक वस्त्र उद्योग के संरक्षण, आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों की योजना के दौरान अमृतसर टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए आवंटित और खर्च की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सीमावर्ती जिला वस्त्र केन्द्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई भावी कार्य-योजना और अवसंरचना विकास कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने अमृतसर, पंजाब सहित देश भर में ऊनी और शॉल-बुनाई खंडों के साथ-साथ पारंपरिक वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया है। प्रमुख योजनाओं में वस्त्र केंद्रों में अत्याधुनिक अवसंरचना वाले वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क (SITP) योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैन-मेड फाइबर (MMF) फैब्रिक, MMF अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना; विशिष्ट फाइबर और तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार, मशीनरी के स्वदेशी विकास और अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधनों के निर्माण पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM); मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना-समर्थ; संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS); ऊन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (IWDP), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना; और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

वस्त्र मंत्रालय के तहत वस्त्र समिति पारंपरिक वस्त्रों और हस्तशिल्प को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 के तहत देश के अद्वितीय वस्त्रों और हस्तशिल्प को पंजीकृत करने में सहायता कर रही है। इसके एक भाग के रूप में, पंजाब की पारंपरिक अमृतसर शॉल के संरक्षण और संवर्धन के लिए भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकरण करने के लिए आवेदन दाखिल करके एक पहल की गई है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को संरक्षित करना, अमृतसर शॉल की पहचान को मजबूत करना और उनकी विपणन क्षमता और मूल्य को बढ़ाना है।

मंत्रालय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 125.99 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) में ऊन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सहायता से "एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम" (आईडब्ल्यूडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

देश में व्यापार करने को आसान बनाने के लिए रोजगार सृजन और "मेक इन इंडिया" के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न खंडों में बेंचमार्क मशीनरी की खरीद के लिए इकाइयों को ऋण सम्बद्ध पूंजीगत निवेश सब्सिडी (CIS) प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य सहित पूरे देश में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS) क्रियान्वित की गई है। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात के साथ-साथ आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाना है। ATUFS योजना के तहत, 70 मामलों का निपटान किया गया है और वर्ष 2018 से 2024 के दौरान अमृतसर, पंजाब में स्थित इकाइयों को 12.9 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश सब्सिडी जारी की गई है। ATUFS योजना के तहत जारी सब्सिडी का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु में)

वर्ष	**जारी की गई सब्सिडी**
2018	0.11 करोड़
2019	0.03 करोड़
2020	2.83 करोड़
2021	2.19 करोड़
2022	4.70 करोड़
2023	1.21 करोड़
2024	1.83 करोड़
कुल	**12.9** करोड़

मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देश भर में वस्त्र केंद्रों में विश्व- स्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना के वस्त्र पार्क स्थापित करने हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क (SITP) योजना को क्रियान्वित कर रहा है। SITP योजना के तहत, पंजाब में 3 वस्त्र पार्कों को निम्नलिखित विवरण के साथ शुरू किया गया है:-

क्र. सं.	पार्क का नाम	जिला	जारी की गईं निधियाँ (करोड़ रुपए रु.)
1	लोटस इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क	बरनाला	40.00
2	रिदम टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	नवांशहर	36.00
3	लुधियाना इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	लुधियाना	36.00

वस्त्र मंत्रालय की (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) - समर्थ संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भारतीय वस्त्र उद्योगों के प्रयासों को सहयोग करने के लिए मांग-संचालित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है, जिसमें संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई के अलावा, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को अखिल भारतीय आधार पर शामिल किया गया है। पंजाब राज्य में कुल 4,737 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) और हथकरघा क्षेत्र में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (RMSS) के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग इकाइयों, वर्कशेड के निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद विविधीकरण और डिजाइन नवाचार, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (IHB), हैंडलूम मार्क (HML) और GI टैग के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास, ई-कॉमर्स सुविधाएं, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों (ROSCTL) की छूट योजना; निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP) योजना; निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM), जिसमें निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा शामिल हैं; और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE) शामिल हैं।

सरकार ने प्राथमिकता वाले 40 देशों को कवर करते हुए एक केंद्रित निर्यात-संवर्धन और बाजार-विविधिकरण कार्यनीति भी अपनाई है। सोलह मुक्त व्यापार समझौते (FTA) लागू हैं, जिनमें भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) शामिल है; और यूरोपीय संघ (EU) और न्यूजीलैंड के साथ संपन्न FTA भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को अपने निर्यात को बढ़ाने और बाजार विविधीकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों से उत्पन्न व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 19 मार्च 2026 को रिलिफ (RELIEF) (निर्यात सुविधा के लिए रेजिलिएंस और लॉजिस्टिक पहल) को शुरू किया।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अध्याय 5201 के तहत आने वाले कपास के आयात पर सीमा शुल्क को दिनांक 1 जून से दिनांक 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से छूट दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने भारत के कपास क्षेत्र में प्रमुख बाधाओं को दूर करने, उत्पादकता वृद्धि में सुधार करने और गुणवत्ता-संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है।
